के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का पाये जाने से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का स्टाम्प शुल्क राजहित में जमा करवाया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मौजा तंवरा में खाता संख्या 215 के खेत खसरा नंबर 257 रकबा 3.3427 हैक्टेयर, खसरा नंबर 359 / 2 रकबा 1.9101 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन स्कीम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबाली जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा तंवरा में खाता संख्या 215 के खेत खसरा नंबर 257 रकबा 3.3427 हैक्टेयर, खसरा नंबर 359 / 2 रकबा 1.9101 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबाली जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी संख्या 1 नोलाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 257 रकबा 3.3427 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 पदमाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 359 / 2 रकबा 1.9101 हैक्टेयर पूरा यथावत खातेदारी में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
4. बैंक के रहन खसरान् बैंक के यथावत रहन रहेगें तथा उक्त के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

3